न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

——

प्रकरण संख्या– 245 / 2018 वाद

दिनांकः 18.01.2021

उनवान

1. शोभालाल पिता भूरालाल धाकड वयस्क निवासी हसमतगंज तहसील भदेसर
2. उंकारलाल पिता भूरालाल धाकड वयस्क निवासी हसमतगंज तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. प्रभुलाल पिता टोलीराम धाकड वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर।
2. सत्यनारायण पिता धनराज धाकड वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित– श्री नरेन्द्रसिहं पंवार वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188, 209, की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि वाक मौजा हसमतगंज पटवार हल्का सुखवाडा तहसील भदेसर में में वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि आराजीयात अवस्थित है जिसके खाता संख्या 02 की आराजी नम्बर 109, 148, 203, कुल किता–3 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर स्थित है जिस पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी 2072 से 2075 व नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जा रहा है ।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा वादीगण इस पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें उपरोक्त वादीगण की आराजीयात के पास ही स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजीयात से किसी प्रकार संबंध सरोकार नहीं है फिर भी वे जबरन धीरे धीरे कर वादीगण की आराजीयात के रकबे को दबाते चले आ रहें है तथा वादीगण द्वारा विरोध करने पर मानने को तैयार नहीं होते है तथा झगडा करने पर आमादा रहते है जिस पर वादीगण ने विधिवत तौर से आराजीयात की नपती कराने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 76 / 2017 पर दर्ज रजिस्टर हुआ एवं बाद सुनवाई माननीय न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

द्वारा दिनांक 22.5.2017 को आदेश पारित कर तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त कर पत्थरगढी कराने का आदेश पारित किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रतिवादीगण को सूचना नोटिस जारी किये एवं दिनांक 03.05.2018 को मौके पर उपस्थित होने की सूचना पत्र दिया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पटवार ीद्वारा मौके पर जाकर दिनांक 03.05.2018 को विधिवत तौर से आराजीयात की नपती पिन पोईन्ट से की गई तो पाया गया कि वादीगण की आराजी नमबर 203 की पूर्वी दक्षिणी मेउ से नपती प्रारम्भ कर पत्थर गढवाये गये और आराजी नमबर 203 की उत्तरी दिशा में 43 मीटर लम्बाई एवं 39 मीटर चौडाई कुल 0.17 हैक्टेयर कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करना पाया गया इस प्रकार प्रतिवादीगण ने मौके पर वादीगण की उक्त आराजी नम्बर 203 के रकबे में से 0.17 हैक्टेयर कृषि भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर वादीगण की जमीन को अपनी आराजीयात में मिला ली है जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से खातेदारी की आराजीयात का कब्जा सिुर्द करने एवं अवैध अतिचार हटाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये तथा धमकियां देने लगे कि जमीन का कब्जा हम तुम्हें नहीं देंगे तुम्हारे में दम हो वो कर लेना इस पर भु अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया कि मौके पर किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे एवं आप किसी प्रकार का अतिचार या कब्जा नहीं करोगें ।

3. यह कि वादीगण ने अपने स्तर पर प्रतिवादीगण का अवैध अतिचार हटवाने हेतु काफी प्रयास किया लेकिन प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हो रहा है तथा वादीगण को उसके खातेदारी व कब्जे काश्त करने नहीं दे रहा है इसलिए प्रतिवादीगण का जिस कदर व जैसा भी अवैध कब्जा है उसे जरिये अदालत हटाया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द करवाया जाना न्यायोचित हे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हे कि वो आराजीयात का कब्जा किसी अन्य को अन्तारित नहीं करे न करावें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादीगण के हक अधिकार प्रभावित हों ।

4. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण अभी दिनांक 23.10.2018 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को अवैध अतिचार हआ कर कब्जा वादीगण के सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये एवं आराजी का अवैध अतिचार अन्य को अन्तरित करने की धमकियां दी तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

अतः वाद स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रतिवादी की ओर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से वादी का शपथ पत्र एवं विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

का नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1, जमाबन्दी हसमतगंज खाता संख्या 2 , 2072–75 प्रदर्श– 3 , पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 03.05.2018 प्रदर्श–3 प्रस्तुत की गई ।

लायक अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होंनें भी वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा के समर्थन में किसी प्रकार के साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये एवं प्रकरण में भाग नहीं लिया गया । जमाबन्दी प्रदर्श–2 अनुसार विवादीत आराजीयात वादी के खातेदारी हक दर्ज रेकार्ड है जिसकी पत्थरगढी पर्चा मौका प्रदर्श–3 में राजस्व अधिकारियों यथा भू अभिलेख निरीक्षक कन्नोज ने वर्णित किया है कि आराजी नमबर 205 की पूर्वी–दक्षीणी मेड से नपती प्रारम्भ कर आराजी नमबर 203 की पूर्वी–दक्षिणी कोने पर पत्थर गढवाये गये । आराजी नमबर 203 की पूर्वी दक्षिणी कोने एवं नपती कर आराजी नमबर 203 की पूर्वी उत्तरी एवं दक्षिण–पश्चिमी कोने पर पत्थर गढवाये गये आराजी नमबर 203 के उत्तर पश्चिमी कोने पर पत्थर गढवाये गये । कब्जे में दखल अन्दाजी किए बगैर पत्थर गढवाये गये । आराजी नम्बर 203 की उत्तरी दिशा में 43 मीटर लम्बाई एवं 39 मीटर चौडाई कुल 0.17 हैक्टेयर भूमि पर प्रभुलाल पिता वेणीराम एवं सत्यनारायण पिता धनराज का कब्जा पाया गया । वादी को नियमानुार कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पे । करने को कहा गया ।

उक्तानुसार पुष्ठि होती है कि वादीगण की खातेदारी में दर्ज मौजा हसमतगंज खाता संख्या 2 में वर्णित आराजी नम्बर 109, 148, 203 किता–3 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर में से आराजी नम्बर 203 की उत्तरी दिशा में 43 मीटर लम्बाई एवं 39 मीटर चौडाइ 0.17 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अतिचार है जो ट्रेस पासर की श्रेणी में आने से वादी अपने खातेदारी की आराजी पर पाये गये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का अवैध कब्जा/अतिचार हटवाया जाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वाद को बखूबी साबित कराया गया है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित रामझते है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जि...

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादी की खातेदारी में दर्ज मौजा हसमतगंज खाता संख्या 2 में वर्णित आराजी नम्बर 109, 148, 203 किता–3 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर में से आराजी नम्बर 203 की उत्तरी दिशा में 43 मीटर लम्बाई एवं 39 मीटर चौडाई कुल 0.17 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार भदेसर को का निर्देशित किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाजायज कब्जा हटवा कर वादीगण को सुपुर्द करावें । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द भी किया जाता है उक्त आराजीयात में दखल नहीं करे अवैध अतिचार का कब्जा अन्य किसी को अन्तरित नहीं करें न करावें । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस0

---

1. शोभालाल पिता भूरालाल धाकड वयस्क निवासी हसमतगंज तहसील भदेसर
2. उंकारलाल पिता भूरालाल धाकड वयस्क निवासी हसमतगंज तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. प्रभुलाल पिता टोलीराम धाकड वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर।
2. सत्यनारायण पिता धनराज धाकड वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदेसर।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा0 का0 अधि0 1955
प्रकरण सं0 .245/2018

वादी की और से वकील श्री नरेन्द्रसिहं पंवार एवं प्रतिवादी की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 18.01.2021 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिकी किया जाता है कि वादी की खातेदारी में दर्ज मौजा हसमतगंज खाता संख्या 2 में वर्णित आराजी नम्बर 109, 148, 203 किता–3 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर में से आराजी नम्बर 203 की उत्तरी दिशा में 43 मीटर लम्बाई एवं 39 मीटर चौडाई कुल 0.17 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाजायज कब्जा हटवाया जाकर वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार भदेसर को को निर्देशित किया जाता है कि वादी की उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाजायज कब्जा हटवा कर वादीगण को सुपुर्द करावें । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द भी किया जाता है उक्त आराजीयात में दखल नहीं करे अवैध अतिचार का कब्जा अन्य किसी को अन्तरित नहीं करें न करावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 18–01–2021 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.04 15:21:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner